ग्वालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 50 शब्द,प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रूपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	3 DAYS 100/-	15 DAYS 500/-	1 MONTH 1000/-
डिस्पले क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	1 DAYS 500/-	7 DAYS 1800/-	1 MONTH 3000/-
पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-	
गुमशुदा, जन्मदिन, बधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-	
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-	
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate		
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रूपये अतिरिक्त शब्द	Rs. 500/-		

Contact:-
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार- पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.

नागपंचमी (चौरसिया दिवस) पर निकलेगा भव्य चल समारोह

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 जुलाई. चौरसिया समाज विकास संघ ग्वालियर अपना 30वां चौरसिया दिवस (नागपचंमी महोत्सव) 29 जुलाई को भव्य स्तर पर आयोजित कर रहा है यह पर्व सम्पूर्ण भारत वर्ष में चौरसिया समाज के कुलदेवता नागदेवता होने के कारण चौरसिया दिवस के नाम से विख्यात है।

चौरसिया समाज विकास संघ के उपाध्यक्ष नीरज चौरसिया ने बताया कि चौरसिया दिवस महोत्सव 29 जुलाई को स्वजातीय बंधु परस्पर सदभावना एंव सामाजिक प्रेम और सागाजिक एक जुटता बनाये रखने के उददेश्य से भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है इस विशाल पैदल चल समारोह को अ.भा. आदर्श चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रमेश चौरसिया (ग्वालियर) हरीझण्डी देकर प्रारंभ करेंगे। तथा इरा विशाल पैदल चल रामारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा, रवल्पाहार आदि से भव्य स्वागत किया जायेगा। चल समारोह का नेतृत्व रामप्रकाश चौरसिया, मनोज चौरसिया, मुकेश चौरसिया, महेश चौरसिया, जी आदि द्वारा किया जायेगा।

रैली का शुभारंभ दोपहर 2 बजे से विशाल पैदल चल समारोह का सादगी पूर्ण प्रारंभ किया जायेगा। यह पैदल चल समारोह चौरसिया समाज के राम जानकी मंदिर चावड़ी बाजार से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय महामंत्री रमेश चौरसिया के निवास स्थान से होकर, मोर बाजार, महाराज बाड़ा, राराफा बाजार, गश्त का ताजिया, राम मंदिर, उंट पुल, जयेन्द्रगंज होते हुए शाग 06ः00 बजे चैम्बर ऑफ कॉगर्स पहुंचेंगी।

चैम्बर ऑफ कॉगर्स में समय शाम 06 बजे से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.

चौररायिा रामाज विकास संघ द्वारा राम्पूर्ण भारत वर्ष रो पधारे गणमान्य चौरसिया बंधुओं की एंव शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रतिभाषाली छात्र-छात्राओं का सम्मान, नागरिक सम्मान समारोह, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जायेगा। इस अवसर पर प्रीतिभोज का आयोजन भी कार्यकम स्थल पर किया गया है।

अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली राष्ट्रीय महामंत्री रमेश चौरसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिओम चौरसिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज चौरसिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीलाल चौरसिया, रविन्द्रनाथ चौरसिया (अध्यक्ष), जनवेद चौररिया, गोविंद चौरसिया, प्रहलाद चौरसिया (कोषाध्यक्ष), महेश चौरसिया, मुकेश चौरसिया, राजेन्द्र चौरसिया, अमित चौरसिया, रामसिंह चौरसिया, कृष्ण कुमार चौरसिया, श्यामसुन्दर चौरसिया, रामप्रकाश चौरसिया, मनोज चौरासया, मनोज चौरसिया, वीरेन्द्र चौरसिया, दुर्गेश चौरसिया, रातेन्द्र चौरसिया, रांजीव चौरशिया, विनोद चौरसिया, एड.श्री संतोष चौरसिया, श्याम चौरसिया, पवन चौरसिया, एड. मनीष चौरसिया, कृष्ण चौरसिया, राकेश चौरसिया, धर्मेन्द्र चौरसिया, जितेन्द्र चौरसिया, सूरज चौरसिया, दिनेश चौरसिया, शंकर चौरसिया, हरीश चौरसिया मौजूद रहेंगे.

एक नजर में

वैज्ञानिकों की टीम बताएगी, कैसे निकलेगा पानी

ग्वालियर। शहर में विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव को लेकर मची हाय-तौबा के बीच सोमवार सुबह भोपाल से वैज्ञानिकों का एक दल आया है। यह दल शहर के उन स्थानों का निरीक्षण कर रहा है जहां बरसात का पानी भरा है और कई दिन बीत जाने के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जो जानकारी मिल सकी है वैज्ञानिकों का दल पूरी स्थिति देखने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके नगर निगम को देगा जिसमें जलभराव न हो तथा ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सही रखा जाए सहित अन्य जानकारियां दी जाएगीं। जनकार्य विभाग अधिकारी तथा सिटी प्लानर वैज्ञानिकों के दल के साथ भ्रमण कर रहे हैं। भोपाल से आई वैज्ञानिकों की टीम सबसे पहले दीनदयाल नगर, आदित्यपुरम तथा शताब्दीपुरम पहुंची है, क्योंकि सबसे गंभीर समस्या उसी क्षेत्र में है। वैज्ञानिकों की टीम नाले, सीवर लाइन सिस्टम, पीएचई सिस्टम सहित अन्य का बारीकी से अध्ययन कर रही है, जिससे एक पूरा प्लान नगर निगम को दिया जाए और जलभराव की स्थिति से निजात मिले। बता दें कि इस बार मानसून आते ही शहर में जोरदार बरसात हो रही है। ऐसी बरसात कई दशकों के बाद हुई है जिससे पूरा शहर ही जलमग्न हो गया है। नगर निगम जलभराव की स्थिति से पार नहीं पा सका इस वजह से शहरवासी काफी परेशान हो रहे हैं।

खेल किट पाकर खिले खिलाड़ियों के चेहरे

ग्वालियर-खेल एवं युवा कल्याण विभाग के स्थानीय दर्पण मिनी स्टेडियम पर चल रहे ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह महेंद्र सिंह यादव (पूर्व अध्यक्ष, बीज विकास निगम) के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, कार्यक्रम के प्रारंभ में समस्त अतिथियों का स्वागत अविनाश भटनागर, संगीता दीक्षित, विवेक पिसाल,, वंश श्रीवास्तव, नरेश डंगरौलिया, अमन बाल्मिक आदि ने किया ! मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह यादव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि दर्पण मिनी स्टेडियम में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, वही दर्पण मिनी स्टेडियम के साथ खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड एवं एकलव्य अवार्ड प्राप्त हो चुका है! नवोदित खिलाड़ी दर्पण की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं ! इस अवसर पर पुरुषोत्तम टमोटिया (पूर्व पार्षद), बच्चन सिंह यादव, आशु श्रीवास आदि उपस्थित रहे! कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन अविनाश भटनागर ने किया!

ट्रिपल आईटीएम वुमेन एसोशिएशन ने आयोजित किया हरियाली तीज महोत्सव

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 28 जुलाई. मुरैना लिंक रोड स्थित अटल बिहारी वाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के एमडीपी सेंटर में वुमेन'स असोशिएशन ट्रिपल आई टी एम के द्वारा हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ड्रेस कोड में हरे रंग का भारतीय परिधान निर्धारित किया गया था। विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर असोशिएशन की अध्यक्ष श्रीमति वंदना सिंह सेक्रेटरी माधुरी पटनायक एवं सदस्यगण श्रीमती तुलिका श्रीवास्तव, रीना श्रीवास्तव, डॉ. रितु तिवारी, डॉ. अनुराज सिंह, दीपा सिंह, सूजी जेंकिन, ज्योति राठोर, रिचा, गरिमा, आरती, अमृता, पलक चौधरी, सुषमा, शिप्रा शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में प्रो. महुआ भट्टाचार्य एवं प्रो. मनीषा पटनायक को आमंत्रित किया गया था। असोशिएशन की संस्थापिका श्रीमती वंदना सिंह का अभिवादन पुष्प गुच्छ से किया गया। श्रीमति माधुरी के द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। श्रीमती गरिमा ने बागवान गीत की एक मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। आरती, पलक और अमृता के द्वारा ऊर्जावान नृत्य प्रस्तुत किए गए। समूह गान में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉ. अनुराज ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमती तुलिका श्रीवास्तव ने कविता पाठ सुनाया। श्रीमती पलक चौधरी ने तीज क्वीन का खिताब अपने नाम किया व अध्यक्ष द्वारा उन्हें ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह स्थल पर पुष्पों से विशेष साज सज्जा की गयी थी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एमडीपी परिसर के प्रांगण में वृक्ष पर एक सुंदर सुसज्जित झूला रहा। सभी ने झूला झूलकर इस पर्व का आनंद उठाया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। श्रीमती वंदना सिंह ने इस अवसर पर तीज के महत्व को बताते हुए एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया. प्रेसिडेंट श्रीमती वंदना सिंह ने सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएँ दीं तथा हरियाली तीज त्योहार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि हरियाली तीज को सिर्फ एक त्योहार ही नहीं माना जाता बल्कि यह सौभाग्य को बढ़ाने का दिन भी माना जाता है। सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में विशेष उत्साह के साथ भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में श्रीमती तुलिका के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह जानकारी मीडिया प्रभारी श्रीमती दीपा सिंह सिसोदिया के द्वारा दी गयी।

ध्यान से मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास - बीके ज्योति बहन

ग्वालियर-प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ ईश्वरीय विश्व विद्यालय के मोहना स्थित केंद्र पर चल रहे राजयोग ध्यान शिविर के समापन अवसर पर केंद्र प्रभारी बीके ज्योति बहन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग ध्यान से मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। यह एक ऐसी विद्या जो मनुष्य के मन को शांत एवं बुध्दि को दिव्य बना देती है। ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान के सानिध्य में लाखों लोग ध्यान का अभ्यास कर जीवन को सुखमय बना रहे है। तत्पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ राजयोग ध्यान प्रशिक्षक एवं प्रेरक वक्ता बीके प्रहलाद भाई ने सभी को संबोधित किया और कहा कि राजयोग जीवन की दिशा बदलने वाला अभ्यास है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में व्यक्ति बाह्य सुख की तलाश में अंदर से खाली होता जा रहा है। राजयोग व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाता है और जीवन को सम्पूर्णता प्रदान करता है। जीवन की हर परिस्थिति में यदि खुश रहना चाहते है तो थोड़ा समय अपने लिए निकाले उसमें आत्म निरीक्षण करें और जहां आवश्यक हो अपने को परिवर्तन करें। राजयोग ध्यान इसमें हमारी बहुत मदद करता है। आगे उन्होंने ध्यान की सरल और प्रभावी तकनीकों के माध्यम से जीवन मे सकारात्मक ऊर्जा, तनाव मुक्ति एवं भावनात्मक स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उस अपर विस्तार से सभी को समझाया।

नलकेश्वर में झरनों की धार के बीच जान जोखिम में डालकर कपल बना रहे रील

ग्वालियर। ग्वालियर के मशहूर पर्यटन स्थल नलकेश्वर में इन दिनों एक कपल द्वारा बनाई गई रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में कपल 'सैयारा' सॉन्ग पर झरने के तेज बहाव के बीच रोमांटिक पोज़ देते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पहाड़ी झरने के बीच खतरनाक चट्टानों पर खड़े होकर रील बना रहे हैं, जहां जरा सी चूक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नलकेश्वर क्षेत्र पहले भी कई बार हादसों का गवाह बन चुका है लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फेम पाने के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसी हरकतें करते हैं। प्रशासन और पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और कपल की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे प्राकृतिक स्थलों पर इस तरह की जोखिमभरी गतिविधियों से बचें। वन विभाग और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्यटक स्थलों पर इस तरह की लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नलकेश्वर जैसे स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

नर्सिंग रजिस्ट्रेशन गुम सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मनोरमा शर्मा पत्नी प्रदीप शर्मा निवासी अंबाह, तह. व जिला मुरैना, सिविल हॉस्पीटल अंबाह में स्टाफ नर्स के रूप में पदस्थ है। 27 मई 2025 को उनका बाड़ी जिला धौलपुर में नर्सिंग का आवेदन क्रं. आरएन-15180281 एवं रजिस्ट्रेशन क्रं. वी-15254 कहीं गुम हो गया है। तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। जिसके संबंध में पुलिस थाना बाड़ी जिला धौलपुर में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अतएव जिस किसी सज्जन को गुम हुआ नर्सिंग आवेदन क्रं. आरएन-15180281 एवं रजिस्ट्रेशन क्रं. वी-15254 मिले तो नीचे लिखे पते पर पहुंचानें अथवा अधोलिखित मोबाइल नंबर पर सूचना देने का कष्ट करें।

सूचनाकर्ता
मनोरमा शर्मा पत्नी प्रदीप शर्मा निवासी अंबाह, तह. व जिला मुरैना, मोबा. नं. 7697484061

उपनाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता हैं कि मैं **पूनम कुशवाह** पुत्री **श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह** निवासी D/F-1, भूषण फ्लैट नं 02, इन्द्रमणि नगर, गोले का मंदिर ग्वालियर, (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थिनी के शैक्षिणक दस्तावेजो में उपनाम की स्पेलिंग **पूनम कुशवाह POONAM KUSHWAH** अंकित है। जबकि अब मैंने अपने नाम की स्पेलिंग **पूनम कुशवाह POONAM KUSHWAH** के स्थान पर सही नाम **पूनम कुशवाह POONAM KUSHWAHA** रख लिया हैं। अतः अब मुझे भविष्य में **पूनम कुशवाह POONAM KUSHWAHA** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

प्रार्थिनी
नाम पूनम कुशवाह
पुत्री श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह
निवासी- D/F-1, भूषण फ्लैट नं 02, इन्द्रमणि नगर, गोले का मंदिर ग्वालियर, (म.प्र.)

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व धारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 49 भवन क्रमांक स्थान फ्लेट क्रं 202 श्री राधे आपर्टमेन्ट, कृष्णा इन्कलेव में स्थित है जो कि श्रीमती खूशबू केशवानी / पति श्री प्रवेश बाधवा /श्री किशन माखीजा/ पिता श्री अर्जुन माखीजा के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1001862555 पर दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र क्रमांक MP142602024A11110260 दिनांक 06/09/2024 द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एवं एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी के पास क्षेत्र क्रमांक 18 आवेदन दिनांक 23/07/2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 83/2010/18137/40439 प्रकरण क्रमांक 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्ति कर विभाग कक्ष क्रमांक 202/205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियम अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28.07.2025

आवेदक का नाम
श्री जय किशन तोतलानी
पिता श्री नन्दलाल तोतलानी
फ्लेट क्रं 202 श्री राधे आपर्टमेन्ट, कृष्णा इन्कलेव वार्ड-49

आम सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाजारी कर्ता की संपत्ति का असल विक्रय पत्र दिनांक 14.09.1965 जो मेरे बाबा तुलसीराम प्रसाद के नाम से है, मुझ सूचनाजारीकर्ता से दिनांक 22.06.2025 को फोटोकॉपी कराने हेतु माधवगंज लश्कर ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में कहीं गिर गया है, जो काले रंग के कपड़े के थैले में था। जिसकी सूचना मुझ सूचनाजारीकर्ता द्वारा दिनांक 22.06.2025 को थाना माधवगंज में ऑन-लाईन दिया जाकर खोयी संपत्ति का पंजीकरण कराया गया है। अतः सूचित किया जाता है किसी व्यक्ति को उक्त असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.09.1965 मिले, तो मुझ सूचनाजारीकर्ता को सूचित कर प्रदान करें, जिसका उसे उचित इनाम दिया जायेगा । यदि कोई व्यक्ति उक्त विक्रय दिनांक 14.09.1965 के जर्ये किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था, निगम, निकाय, या बैंक आदि से लेन-देन या संव्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी, मुझ सूचनाजारीकर्ता अथवा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 14.09.1965 की संपत्ति पर नहीं होवेगी तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही की जावेगी। अतः सूचित हो। इति दिनांक 28.07.2025

सूचनाजारीकर्ता
शुघम मांझी पुत्र श्री भवानी प्रसाद बाथम उर्फ राज, निवासी रायसिंह का बाग कम्पू रोड, लश्कर ग्वालियर मोबाः 96910-54325

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार The Teresian Carmel Educational Society ने भवन एवं भूखण्ड, जिसका म्यु. क्रं. 35/1185, म्यु. आई.डी. क्र. 1000190660 एवं म्यु. आई.डी. क्रं. 1000162859 एवं म्यु. आई.डी. क्रं. 1000162858 (पु. म्यु. क्रं. 30/1185 बाद 35/1513 एवं 30/1185/1 बाद 35/1185/2 एवं 24/918), जिसका क्षेत्रफल 428.92 वर्ग मीटर है, स्थित फालके साहब के बाड़े के पीछे, कर्नल साहब की डियाड़ी, लश्कर, ग्वालियर में है, को क्रय करने का अनुबंध सम्पत्ति स्वामी श्रीमती किरण सिकरवार पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह सिकरवार से किया है। श्रीमती किरण सिकरवार ने उक्त सम्पत्ति के एक भाग जिसका क्षेत्रफल 193.98 वर्ग मीटर को विक्रय पत्र दि. 05/07/2022 के द्वारा श्रीमती कीर्ति संजय फालके पत्नी संजय फालके से क्रय किया है तथा दूसरे भाग जिसका क्षेत्रफल 156.35 वर्ग मीटर को विक्रय पत्र दि. 05/07/2022 के द्वारा श्रीमती कीर्ति संजय फालके पत्नी संजय फालके से क्रय किया है एवं तीसरे भाग जिसका क्षेत्रफल 78.59 वर्ग मीटर को विक्रय पत्र दि. 05/07/2022 के द्वारा श्रीमती कीर्ति संजय फालके पत्नी संजय फालके से क्रय किया है। श्रीमती कीर्ति संजय फालके ने उपरोक्त सम्पत्तियों को जरिये तीन पं. वि. प. दि. 13/02/2008 के द्वारा श्रीमती कमला देवी सिकरवार एवं सुन्दर सिंह व अन्य एवं रोमन केथोलिक डायसिस ऑफ झांसी से क्रय किया था। उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र शीघ्र ही हमारे पक्षकार द्वारा अपने हित में निष्पादित कराया जाने वाला है। अतः कोई व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, प्रायवेट फाइनेंसर, उपरोक्त सम्पत्ति में अपना हक, अधिकार, ऋणभार, जमानत सम्बन्धि भार, अनुबंध या किसी भी प्रकार का दखल रखता हो तो उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में मय दस्तावेजों के हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में अपत्ति प्रस्तुत करें, 7 दिवस पश्चात् उपरोक्त सम्पत्तियों का विक्रय पत्र हमारे पक्षकार द्वारा अपने हित में निष्पादित करा लिया जायेगा, उसके पश्चात प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होंगी तथा हमारे पक्षकार के हित में निष्पादित होने वाला विक्रय पत्र हमारे पक्षकार के स्वत्व तथा स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में एक वैद्यानिक दस्तावेज होगा।

प्रेषक : कौशल पाराशर एवं सुमित तिवारी, एडवोकेट
कार्यालय स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट,
जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क, लश्कर,ग्वालियर, मो.: 9893114325

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व धारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 05 भवन क्रमांक स्थान मानपुर में स्थित है जो कि सम्पदा अधिकारी के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 2000209715 पर दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 704 वर्गफुट है उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर विक्रय पत्र क्रमांक MP142602024A1051763 दिनांक 12/01/2024 द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एवं एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर के पास क्षेत्र क्रमांक 01 आवेदन दिनांक 25/07/2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 60/2010/72364/72572 प्रकरण क्रमांक 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्ति कर विभाग कक्ष क्रमांक 202/205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियम अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28.07.2025

आवेदक का नाम
श्रीमती बीना शर्मा
पति श्री दिनेश शर्मा
मानपुर वार्ड-05

आम सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा सुवरातन पत्नी स्व. श्री चुन्ने खाँ निवासी हरिदर्शन स्कूल के पीछे रानीपुरा लश्कर ग्वालियर म.प्र. में निवास करता है। मेरे पक्षकार के तीन पुत्र है जो क्रमशः असमल खाँ, छोटे खाँ, इमरान खाँ है तथा मेरे पक्षकार का बड़ा पुत्र असलम खाँ एवं उसकी पत्नी सहित मेरी पक्षकारा से अलग मकान में निवास करते है, मेरी पक्षकारा के पति का स्वर्गवास दो वर्ष पूर्व हो गया है तभी से मेरे पक्षकार का बड़ा पुत्र आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है और मेरी पक्षकारा को परेशान करते है तथा मेरे पक्षकार का बड़ा पुत्र अपने परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी देता है. मेरी पक्षकारा के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता है। मेरे पक्षकार के बड़े पुत्र का चाल चलन ठीक न होने एंव उसके गलत संगत में पड़ जाने के कारण आये दिन लड़ाई झगड़ा व शराब जुएं का आदि होने के कारण वह मेरी पक्षकारा से उसको पेंशन के रूपये छीन लेता है मेरी पक्षकारा ने बड़े पुत्र असलम खाँ को अपनी संपति में से पूर्व में हिस्सा देकर बेदखल कर दिया था अब मेरी पक्षकारा के बड़े पुत्र का अब उसकी संपति में कोई हिस्सा नहीं है यदि मेरी पक्षकार के बड़े पुत्र व पुत्रवधू को कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक आदि से सामाजिक व आर्थिक सरोकार करते है तो उसके लिये असलम खाँ व उसकी पत्नी स्वंय जिम्मेदार होंगे उसमें मेरे पक्षकार की किसी भी तरह का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा यदि मेरी पक्षकारा के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित होती है तो उसके लिये मेरी पक्षकारा का बड़ा पुत्र असलम खाँ एंव पुत्रवधू जिम्मेदार होगी।अतः हर आमोखास को सूचित किया जाता है। उक्त सूचना के बाद अगर कोई व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी, समूह आदि मेरे पक्षकार के बड़े पुत्र असलम खाँ व उसकी पत्नी से रूपये या अन्य किसी प्रकार का कोई लेन देन करता है तो समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वंय की होगी। मेरे पक्षकार का बड़ा पुत्र असलम खाँ व उसकी पत्नी द्वारा किये गये किसी भी कृत्य की जवाबदारी मेरे पक्षकार की नहीं होगी।

दिनांक 28/07/2025

प्रेषक
सुवरातन पत्नी स्व. श्री चुन्ने खाँ निवासी हरिदर्शन स्कूल के पीछे रानीपुरा लश्कर ग्वालियर म.प्र.
द्वारा अभिभाषक
शिवराज सिंह भदौरिया, मोहित भदौरिया एडवोकेट
कार्यालय व निवास- हरिदर्शन स्कूल के पीछे, महाराणाप्रताप नगर, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.
मो- 9827305629, 9907787483

In The Court of Additional Judge to Civil Judge Class-1, Civil Pichhre District- Shivpuri M.P.

Presiding Officer: विकास विश्वकर्मा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC SUC/0000003/2025)
शांदि आदिवासी... वादी
vs
सर्वसाधारण..... प्रतिवादी
Process Id 262/2025
पेशी दिनांक 18/08/2025

प्रेषिती
(1) सर्वसाधारण, पता- तहसील पिछोर, जिला-शिवपुरी म.प्र.

यह कि प्रार्थी शांति आदिवासी ने आपके विरुद्ध सक्सेशन के लिए वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है. आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपको प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 21 July 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

(विकास विश्वकर्मा)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पिछोर, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

आम सूचना

श्री रमेश शर्मा, श्री सुरेश शर्मा पुत्रगण स्व. श्री वृंदावन शर्मा एवं श्रीमती शशि शर्मा पत्नी स्व. श्री मनोज शर्मा के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम गदाईपुरा, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र.97/2/2/1 ग्राम गदाईपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भवन किशोरी सिंह तोमर, पश्चिम में-रास्ता 30 फुट चौड़ा, उत्तर में-भवन बृजेश शर्मा एवं दक्षिण में-रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री वृंदावन पुत्र श्री तुलसीराम के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री वृंदावन का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री रमेश शर्मा, श्री सुरेश शर्मा एवं श्री मनोज शर्मा पुत्रगण स्व. श्री वृंदावन, सुमन एवं विमलेश पुत्रियां स्व. श्री वृंदावन उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री मनोज शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती शशि शर्मा पत्नी स्व. श्री मनोज शर्मा, सोनम, अंजिला, सोनाली पुत्रियां स्व. श्री मनोज शर्मा उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री रमेश शर्मा, श्री सुरेश शर्मा एवं श्रीमती शशि शर्मा द्वारा सुमन एवं विमलेश, सोनम, अंजिला, सोनाली की सहमति से उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि समाप्त होने उपरांत वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी । कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 18, वार्ड क्रं 49,भवन क्रं 1436, स्थान समाधिया कॉलोनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि पूजा खेमानी/श्री मनोज खेमानी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000148970 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ580 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602024ए1043199 दिनांक 10.01.2024 से प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी, क्षे.क्र 18, पर दिनांक 25.07.2025 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्र 83/2010/18149/40451 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28.07.2025

आवेदक-नीलम आहूजा/स्व. पूरनलाल आहूजा, पता-समाधिया कॉलोनी ग्वा0 मो0-7000210458

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 03 भवन क्रमांक... स्थान उरवाई गेट, आऊखान कलां में स्थित है जो कि मधु कुशवाह/स्व. भीम सिंह, कन्हैया, मनोज/ स्व. भीम सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1004613344 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 957 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602023 ए 12578259 दिनांक 23/11/2023 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पागल खाना पर दिनांक 28/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 64/2010 /67284/67425 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-07-2025
आवेदक का नाम/पता
आकाश चतुर्वेदी/दीपक चतुर्वेदी, विकाश/दीपक
पताः उरवाई गेट, आऊखानाकलां, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 03 भवन क्रमांक... स्थान उरवाई गेट, आऊखान कलां में स्थित है जो कि मधु कुशवाह, कन्हैया, मनोज/स्व. भीम सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1004559653 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 957 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602023 ए 12573376 दिनांक 24/11/2023 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पागल खाना पर दिनांक 28/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 64/2010 /67285/67426 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-07-2025
आवेदक का नाम/पता
अंजना देवी अग्रवाल/ उमेश अग्रवाल, वंदना देवी/दुर्गेश
पताः उरवाई गेट, आऊखानाकलां, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 44 भवन क्रमांक 1668 स्थान हुजरात रोड में स्थित है जो कि कविता डवानी/लक्ष्मणदास के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000137978 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 152 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी ..... दिनांक .... द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी पर दिनांक 15/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 82/2011 /24587/24669 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-07-2025
आवेदक का नाम/पता
रितु जैन/ सचिन जैन
पताः हुजरात रोड, ग्वालियर म.प्र.
मो. 7771910669

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 भवन क्रमांक... स्थान प्रसाद नगर में स्थित है जो कि कैलाश उर्फ कैलाशचन्द्र/ रामचन्द्र के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 2000400060 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602025 ए1074812 दिनांक 03/02/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द लूटपुरा पर दिनांक 28/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011 /54261/54200 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-07-2025
आवेदक का नाम/पता
अनिता कुशवाह/ यशवंत सिंह कुशवाह
पताः प्रसाद नगर, ग्वालियर म.प्र.
मो. 9826664139

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 भवन क्रमांक... स्थान मानपुर में स्थित है जो कि राजू टुन्डेलकर/भगवान लाल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक .....पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602024 ए4370035 दिनांक 03/12/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 28/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011 /54262/54201 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-07-2025
आवेदक का नाम/पता
मनीष सिंह राजपूत, लोकेश सिंह/रामहेत सिंह
पताः मानपुर, ग्वालियर म.प्र.
मो. 9755075097

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 02 भवन क्रमांक... स्थान शब्द प्रताप आश्रम रोड, सूर्य नगर में स्थित है जो कि यतीन्द्र शर्मा/ देवेन्द्र शर्मा के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक1000117069 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 204.22 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 21/जीआर/17402025ए100629138 दिनांक 18/07/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पागल खाना पर दिनांक 28/07/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 64/2010 /67283/67424 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 28-07-2025
आवेदक का नाम/पता
अंचना अग्रवाल/उमेश अग्रवाल, वंदना/दुर्गेश
पताः शब्द प्रताप आश्रम रोड, सूर्य नगर ग्वालियर म.प्र.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण संख्या 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर-560071।

शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.131/01, भूतल, एमपी नगर जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011.

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकता/गारंटर/बंधककर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर भविष्य के ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/ बंधककर्ता	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	देय राशि रुपये में/दिनांक तक
1	1) श्री विष्णु श्रीवास, पुत्र भरत सिंह श्रीवास, 2) श्रीमती उर्मिला, पत्नि राम भरत, 3) श्री भरत सिंह श्रीवास, पुत्र स्व. तोताराम	ऋण खाता सं. 31229420000010 45519420000360 ऋण राशिः ₹7,78,000/-	अचल संपत्तिः भूखंड संख्या 21 के भाग 21-बी से संबंधित भूमि का वह समस्त टुकड़ा संख्या 21, कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर), उस पर निर्माण सहित, भूमि सर्वेक्षण संख्या 22/1/मिन-3 का भाग, वार्ड संख्या 26, ग्राम मुरार, नगर पालिक निगम ग्वालियर, परगना एवं जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित। पूर्व में दीक्षित की भूमि, पश्चिम में भूखंड संख्या 21 के 21-ए से घिरा हुआ। उत्तर में अशोक सिंह का मकान और दक्षिण में 20 फुट चौड़ी सड़क।	02-07-2025 और 28-07-2025	₹ 7,00,084.43 (रू. सात लाख चौरासी और तिरतालीस पैसे मात्र) 23-07-2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकताओं के विरुद्ध करने का आह्वान किया जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है। आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या लेन-देन करने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांकः 29.07.2025, स्थानः ग्वालियर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के लिए